



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 18.01.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ गिरोह बनाकर चोरी, नक्बजनी आदि की घटनाओं को अंजाम देने वाले 25 हजार रुपए के इनामिया गैंगस्टर अभियुक्त को थाना अतर्रा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में गिरोह बनाकर चोरी, लूटपाट तथा नक्बजनी आदि करने वाले गैंगस्टर एक्ट के 25 हजार के इनामिया वांछित अभियुक्त को थाना अतर्रा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त गैंग बनाकर अपने अन्य साथियों के साथ, चोरी नक्बजनी आदि की घटनाओं को अंजाम देता था जिसके सम्बन्ध में थाना बदौसा में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा अभियुक्त की जल्द गिरफ्तारी हेतु 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था जिसे थाना अतर्रा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नरैनी मार्ग से गिरफ्तार किया गया।

बरामद-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बारेलाल उर्फ विजय पुत्र रामदीन निवासी कलहरा थाना नरैनी जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग अभियुक्त बारेलाल उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2(बी)ि/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बदौसा जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 072/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना नरैनी जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 262/22 धारा 411 भादवि थाना नरैनी जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 263/22 धारा 3/25 आमर्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।
5. मु0अ0सं0 112/25 धारा 305(1)/331(4) थाना अतर्रा जनपद बांदा।
6. मु0अ0सं0 137/25 धारा 305/331(4)/317(2)/317(4) थाना अतर्रा जनपद बांदा।
7. मु0अ0सं0 270/25 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस व 3/25 आमर्स एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा।
8. मु0अ0सं0 62/25 धारा 331(4)/305ए/317(2) बीएनएस थाना बदौसा जनपद बांदा।
9. मु0अ0सं0 78/25 धारा 331(4)/305ए/317(2) बीएनएस थाना बदौसा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री ऋषिदेव सिंह प्र0नि0 अतर्रा
2. कां0 आदर्श तिवारी
3. कां0 जंगबहादुर